(iii) Vishakapatnam-Parvatipuram Diesel Push-Pull train has been extended upto Rayagada w.e.f. 9.5.1996.

(iv) Raipur-Kantabanji DMU local will be extended upto Titlagarh and 223/224 Bhadrakh-Cuttack & 1CP/ 2CP Cuttack-Paradeep passengers will be replaced by Diesel Push-Pull during 1996-97.

राजकोट रेलवे स्टेशन को सुन्दर बनाया जाना

2666. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र में राजकोट रेलवे स्टेशन और इसके आस-पास के क्षेत्रों को सुन्दर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन सी परियोजनायें बनाई गई हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सौन्दर्यकरण संबंधी कार्य कब से आरम्भ किया

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) रेलवे अपनी स्टेशन इमारतों की नियमित मरम्मत और आवधिक तौर पर रोगन-पुताई और चित्रकारी करके सही हालत में बनाए रखती है। स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रायें में वृद्धि होने पर जब कभी इस प्रकार की मांग की जाती है तो यात्री सुविधाओं में सुधार/विस्तार भी किया जाता है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

राजकोट स्टेशन पर सम्भाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। इसके अतिरिक्त इस स्टेशन के मुख्य प्लेटफार्म को ऊंचा उठाया गया है तथा हाल ही में पुराने प्लेटफार्म का सायवान बदला गया है। इसके अलावा, प्लेटफार्म पर 28 लाख रुपये की लागत पर कोटा-पत्थर के ताना लगाने का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और इनके जून 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

Additional Passenger Facilities in Railways

2667. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide additional facilities/concessions to the passengers during the current year; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) The existing rail travel concession of 50% of normal fares granted to Licensed Porters has been enhanced to 75% with effect from 1.8.1996.

53 locations have been identified for provision of computerised reservation facilities in the country during the current year.

Provision/augmentation of other a continuous process and works are taken up on a regular basis at various stations throughout Indian Railways.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

2668. **डा० बाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय उर्वरक उपक्रमों द्वारा किए गए उत्पादन का स्तर उनकी संस्थापित क्षमता से कम हो रहा है;

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रम भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के मामले में असमर्थ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उर्वरकों का आयात किया जा रहा है, और यदि हां, तो पिछले वर्ष उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया था;

(घ) क्या उर्वरकों का आयात और उर्वरक उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल न किया जाना एक विरोधाभास की स्थिति है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय उर्वरक उद्योग का विकास करने और इसकी उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरक पोषकों की क्षेत्र-वार स्थापित क्षमता, उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग इस प्रकार है:—

('000 टन)

क्षेत्र	स्थापित क्षमता		उत्पादन		% क्षमता उपयोग	
	एन०	पी०	एन०	पी०	एन०	पी०
सार्वजनिक						
व्यवहार्य एकक	2895	—	2694.0	690.7	93.1	87.2
रुग्ण एकक	1240	—	333.1	—	26.9	—
सार्वजनिक (कुल)	4135	792	3027.1	690.7	72.2	87.2
सहकारी	1531	309	1803.8	360.7	117.8	116.7
गैर सरकारी	3640	1721	3946.1	1506.6	116.4	87.5
कुल:	9306	2822	8777.0	2558.0	96.9	90.6

उर्वरक क्षेत्र में क्षमता का उपयोग का समग्र स्तर पूर्णरूपेण संतोषजनक है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) के रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्रीय एककों का क्षमता उपयोग, उपकरण/डिजाइन कमियों, बारम्बार उपकरण खराबियों, दीर्घकालिक विद्युत कटौतियों, कच्चे माल की उपलब्धता में बाधाओं तथा संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण कम रहा है। एच०एफ०सी० तथा एफ०सी०आई० के पुनरूद्धार पैकेज सरकार द्वारा सिद्धान्तः अप्रैल, 1995 में अनुमोदित कर दिए गए थे। किन्तु इन पैकेजों के वित्त पोषण प्रबन्ध नहीं किए जा सके। बजटीय सहायता की आवश्यकता को न्यूनतम करने के विचार से, इन पुनरूद्धार पैकेजों को वित्तीय संस्थानों के दृष्टिकोण से पुनः तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अन्तिम पुनरूद्धार पैकेजों पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, का अनुमोदन भी अपेक्षित होगा। पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वित हो जाने पर ये कम्पनियां यूरिया की प्रतिवर्ष 23 लाख मी० टन उत्पादन क्षमता को कायम रखने में समर्थ हो जाएगी।

भारतीय उर्वरक उद्योग का विकास और इसकी क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-व-राजसहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(2) उर्वरक उद्योग को फीड स्टाक, ईंधन और रेल परिवहन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किए जा रहे तरल पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(4) सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में अब उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(5) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों पर आयात शुल्क में छूट और सम्य निर्यात लाभों में रियायत उर्वरक एककों द्वारा लिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज दर में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) स्वदेशी रूप से उत्पादित डी०ए०पी० पर विशेष रियायत की दर को दिनांक 6.7.1996 से 1000 रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिटन कर दिया गया है। अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों के संबंध में रियायत की दर में अनुपातिक बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी गई है। एस०एस०पी० के संबंध में विशेष रियायत की दर को 340 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिटन कर दिया गया।

उर्वरक उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने निम्नलिखित कार्यनीति अपनायी है।

(i) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रो-फिटिंग/पुनरुद्धार

(ii) नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन संयंत्रों और परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना।

(iii) प्रचुर तथा सस्ती कच्ची सामग्री स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी दी गई ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु उर्वरकों का आयात किया जाता है। यूरिया, डी०ए०पी० तथा एम०ओ०पी० प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरक हैं जिनका वर्ष 1995-96 में आयात किया गया। वर्ष 1995-96 के दौरान किया गया आयात इस प्रकार है:—

(लाख टन में)

वस्तु	1995-96
यूरिया	37.82
डी०ए०पी०	14.06
एम०ओ०पी०	21.92

*मात्राएं केवल मोटे अनुमानों के अनुसार हैं।

Proposal to Ban India's participation in Olympic

2669. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Government of India on Atlanta Olympics;

(b) whether in view of India's dismal performance, Government propose to ban the participation of athletes in Olympic games for five years (except Hockey, Tennis etc.); and

(c) the steps taken to improve the performance of our sportsmen?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI DHANUSHKODI ATHITHANR): (a) Government has incurred an expenditure of Rs. 22,32,732/- till date on sending the Indian contingent (excluding 7 Managers) to Atlanta Olympics.

(b) No, Sir.

(c) The steps taken by the Government for improvement of sports in the country include:—

Formulation of Long Term Development Plans for each discipline in consultation with the concerned Federations.

Dialogue with Private and Public Sector Companies to increase their investment in Sports, both in infrastructure as also in development of sports academies.

Better monitoring of the proposals of infrastructure is to ensure that limited resources are not spread too thinly.

Bringing Sports on the concurrent list which at Present is a State subject.